

रीडर
सप्लाय अधिकारी, माण्डवी

17-5-24

No Instruction

(3)

पगावली पेशा दुई, वकील वादी एंव प्रतिवादी अधिवक्ता
उपरो प्रतिवादी अधिवक्ता ~~प्रतिवादी~~ की कोर्ट फरमा नही करता
चाहते हो एंव वादी की मृत्यु दिनांक 19-3-21
को हो चुकी है। इसके बाद भी वकील धारण में
आज दिनांक तक कायम मुकाम का प्र-पत्र




तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म का
में जारी

पेश नहीं किया ऐसी स्थिति में प्राप्ति अवैत
हो चुका है। अतः वकील वादी के No INST. मूल
किये जाने से पार्टी का प्राप्ति पत्र स्वारीज किया
जाता है तथा दिनांक 3-6-16 को जारी आस्थाई
निषेधाज्ञा भी स्वारीज की जाती है। पत्रावली फॉसल
शुमार होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा